

आवेश व इजलास प्रकाश सत्यपुस्तक आर्टिस्ट, जिला कलकत्ता एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 483/2022 (धारा 14 सिक्योरिटीआइएशन)

मेल्बोर होम लोन्स इण्डिया लिमिटेड (पूर्व में मेल्बोर इण्डिया लिमिटेड) पता प्रभाव कामोन्नत मेल्वोर हाऊस,  
मोविन्स मार्ग, शेरी कालोनी, जयपुर ।

प्राणी वित्तीय संस्था

बन्धन

1. श्री शीताराम सोनी पुत्र श्री रमो चारमण सोनी,
2. श्रीमती मोरन्ती देवी पत्नी श्री शीताराम सोनी,  
पता : प्लॉट नम्बर बी-6न, स्वागत सिटी-प्रथम, टॉक रोड, माग चंदलाई, तहसील चाकसू,  
जिला जयपुर।
3. श्री शवेश पुत्र श्री कश्चुश,  
विवाशीमण- प्लॉट नम्बर 30, मिश्रासी चमर, चरणवाला, सागावेर, जिला जयपुर।

अप्राणीमण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and  
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of  
Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :- श्री सुरज शर्मा अधिवक्ता प्राणी वित्तीय संस्था की ओर से।

आवेश

दिनांक: 15.08.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्राणी वित्तीय संस्था ने अप्राणी ऋणी को दिनांक 20-10-2016 को पुनर्गठन हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्राणी श्री शीताराम सोनी के स्वागित की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर बी-6न, स्वागत सिटी-प्रथम, टॉक रोड, माग चंदलाई, तहसील चाकसू, जयपुर क्षेत्रफल 100 वर्गगज को बन्धक रख कर 5,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्राणी ऋणी द्वारा प्राणी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में अक्षम रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्राणी ऋणी को दिनांक 02-08-2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण शेष मात्र भुगतान नहीं करने पर प्राणी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमवान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुरोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का मन्वीमति अवलोकन किया गया।
3. प्राणी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में विस्त मंत्रालय की अधिसूचना गई दिल्ली 14 दिसम्बर 2016 में सरकारी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5/8  
जिला मजिस्ट्रेट  
(अप्राणी) जयपुर

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 5,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 9,15,915/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 02-08-2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था को बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। धारा-14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
5. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री सीताराम योगी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर बी-64, स्वागत सिटी-प्रथम, टोंक रोड, ग्राम चंदलाई, तहसील चाकसू, जयपुर क्षेत्रफल 100 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधिक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर



दस्तावेज दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 15.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

५०  
(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर